# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु0 जयपुर

**पीठासीन अधिकारी : लक्ष्मीकान्त कटारा , आर.ए.एस.**
**पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र संख्या :– 07/2018 (2018/00353)**

1. मंगलराम
2. भैरू
3. गोपाललाल
4. समस्त 1 लगायत 3 पुत्रान नारायण, जाति कुमावत निवासी ग्राम रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर।

**– – – प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. सरकार जरिये भू–धारक तहसीलदार महोदय तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर।
3. चौथी देवी पत्नी हनुमान सहाय, जाति कुमावत निवासी ग्राम सरदारपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. मांगूराम पुत्र रामूराम जाति कुमावत निवासी ग्राम रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. बाबुलाल पुत्र नानगा
6. कैलाश पुत्र नानगा
   जाति कुमावत निवासी ग्राम रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. अर्जुन पुत्र बालचन्द प्रजापति
8. कमला देवी उर्फ कमलेश पत्नी अुर्जन प्रजापति
   समस्त 7 लगायत 8 जाति प्रजापत हाल निवासी–19 चर्च रोड, ऑफिसर्स कैम्पस सिरसी रोड़ वैशाली नगर तहसील व जिला जयपुर।

**– – – अप्रार्थीगण**

## प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी
## अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट, सपठित धारा 111 एल.आर.एक्ट

**निर्णय दिनांक :–25.11.2019**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 एल.आर.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर में आराजी कृषि भूमि हाल ख0नं0 364 रकबा 0.93 है0, ख0नं0 365 रकबा 0.37 है0, ख0नं0 366 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 367/1351 रकबा 0.0.21 है0, ख0नं0 371/1346 रकबा 0.0.04 है0, ख0नं0 373 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 374 रकबा 0.28 है0

स्थित है जो प्रार्थीगण की हक अधिकार व कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि है। प्रार्थीगण ने विवादित आराजी का न्यायालय तहसीलदार आमेर के आदेश कमांक भू.अ./17/6732 दिनांक 6.11.2017 की पालना में दिनांक 14.11.2017 को नियमानुसार सीमाज्ञान की कार्यवाही की जा चुकी है। प्रार्थीगण की खातेदारी विवादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं है प्रार्थी नियमानुसार सीमाज्ञान रिपोर्ट के मुताबिक पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे भविष्य में राजस्व सीमाओं को लेकर कोई वाद–विवाद उत्पन्न ना हो।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित आराजी कृषि भूमि हाल ख0नं0 364 रकबा 0.93 है0, ख0नं0 365 रकबा 0.37 है0, ख0नं0 366 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 367/1351 रकबा 0.0.21 है0, ख0नं0 371/1346 रकबा 0.0. 04 है0, ख0नं0 373 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 374 रकबा 0.28 है0 की पत्थरगढी किये जाने के आदेश पारित फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गई। अप्रार्थी सं0 4 की ओर से श्री डी.डी.सैनी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण नोटिस तामिल बावजूद उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी सं0 4 ने जवाब पेश नहीं किया दिनांक 30.10.19 को जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी सं0 01 तहसीलदार आमेर ने प्रार्थना पत्र की जांच रिपोर्ट उनके पत्रांक भू. अ./2018/2112 दिनांक 12.04.18 के द्वारा भिजवाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थना पत्र एवं राजस्व रिकॉर्ड ग्राम रोजदा के आराजी ख0नं0 364 रकबा 0.93, 365 रकबा 0.37, 366 रकबा 0.19, 367/1351 रकबा 0. 21, 371/1346 रकबा 0.04, 373 रकबा 0.28, 374 रकबा 0.28 है0 स्थित है जो कि प्रार्थी गोपाललाल, मंगलाराम, भैरूराम पिता नारायण जाति कुमावत सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है। भूमि वर्तमान में मौके पर खाली है। भूमि पर वर्तमान में किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है। भूमि पर वर्तमान में अब्दुल रहमान व मंदिर माफी प्रकरण में कोई रेफरेन्स नहीं है। प्रार्थी एवं संलग्न प्रार्थना पत्र में वर्णित अप्रार्थीगण सं0 2 लगायत 8 के बीच सीमा विवाद होने के कारण प्रार्थी पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 14.11.2017 को करवाया जा चुका है।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस दिनांक 15.11.2019 को सुनी गयी व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 14.11.2017 को किया जा चुका है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र

पत्थरगढी न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आमेर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 364 रकबा 0.93 है0, ख0नं0 365 रकबा 0.37 है0, ख0नं0 366 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 367/1351 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 371/1346 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 373 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 374 रकबा 0.28 है0 वाके ग्राम रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित की फीस पत्थरगढी प्राप्त कर राजकोष में नियमानुसार जमा करवाये तथा पत्थरगढी की कार्यवाही विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये उभयपक्षों की उपस्थिति में सम्पादित करावें तथा यदि कोई कब्जेकाश्त का विवाद हो तो पत्थरगढी के दौरान भूमि की बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें।

निर्णय आज दिनांक **25.11.2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Katara
Date: 2020.01.22 13:27:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: